



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU –560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. : 1774 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1774**

**कॉकपिट पैनल फ्लड लाइट (सीपीएफएल)**

**विषय / Sub :पार्ट सं.टाइप –1:1710 003 832 53 एवं टाइप –2: 1710 003 831 56**

**Cockpit Panel Flood Light (CPFL)**

**Part Nos.: Type – 1: 1710 003 832 53 & Type – 2: 1710 003 831 56**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, (भारत सरकार उद्यम), प्लॉट सं. 405, फेज़- III, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकुला-134 113, हरियाणा द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित "कॉकपिट पैनल फ्लड लाइट (सीपीएफएल)" बीईएल पार्ट सं.: टाइप – 1 : 1710 003 832 53 और टाइप – 2 : 1710 003 831 56, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए - 1774, दिनांक 23 अगस्त 2013, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1774 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

*This is to state that the "Cockpit Panel Flood Light (CPFL)", bearing BEL Part Nos.: Type – 1: 1710 003 832 53 & Type – 2 : 1710 003 831 56, designed, developed and manufactured by M/s Bharat Electronics Limited, (Government of India Enterprise), Plot No. 405, Phase – III, Industrial Area, Pnachkula – 134 113, Haryana was issued with Type Approval No.: 1774 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA –1774, dated: 23<sup>rd</sup> August 2013 and with its validity up to 30<sup>th</sup> June 2018.*

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जुलाई 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (3) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (चंडीगढ़), सेमिलैक, चंडीगढ़ - 160 003, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

*This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> August 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> July 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Chd), DRDO, CEMILAC, Chandigarh – 160 003, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1774, दिनांक 23 अगस्त 2013 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (04) चार में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para (04) four of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1774, dated: 23<sup>rd</sup> August 2013 is amended as stated herewith.*

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं/ No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1774/1R

दिनांक/ Date: 31 August 2018

फैक्स सं/ .Fax No.: 080 - 2523 0856





  
पी . जयपाल/ P. JAYAPAL  
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist  
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)